रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272912
CG-DL-E-27052026-272912

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948
No. 373] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

सा.का.नि. 414(अ).— जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से आर्थिक सहायता, लाभ और सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और जबकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श करने के बाद अपनी ईएफ नं. 13(5)/2023-ईजी-II, दिनांक 11.11.2025 के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिविप्रा) (जिसे इसके बाद उक्त एजेंसी कहा गया है), भारत सरकार (जिसे इसके बाद उक्त सरकार कहा गया है) को सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों के लिए यह अनुमति दी है कि उक्त एजेंसी को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है और आधार नंबर धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार नंबर का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (बी) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अंतर्गत अधिसूचित किया जा सकता है:

और जबकि, भारतीय नागरिकों और दिविप्रा के कर्मचारियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा ताकि वे इसके 'सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) पोर्टल पर पंजीकरण कर सके और सेवाओं (जिसे इसके बाद उक्त उद्देश्य कहा गया है) का लाभ उठा सके, जैसा कि उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण करना स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त एजेंसी भारतीय नागरिकों और दिविप्रा के कर्मचारियों की केवल पहचान स्थापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करेगी ताकि वे इसके सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) पोर्टल [जिसे इसके बाद उपयोग का मामला (मामले) कहा गया है] पर पंजीकरण कर सके। इसमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

1. आवास
2. भूमि निपटान
3. इंटरएक्टिव डिस्पोजल ऑफ लैंड इंफॉर्मेशन (आईडीएलआई)
4. ऑनलाइन भुगतान
5. सामुदायिक भवन, खुले स्थान और पार्क की बुकिंग
6. पानी के बिल का ऑनलाइन भुगतान
7. ओपीडी/आईपीडी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और
8. खेल से संबंधित सेवाएं
9. सामान्य नागरिक सेवाएं

- अपनी संपत्ति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन और सम्पत्तियों के नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- अपने पट्टे या लाइसेंस शुल्क का ऑनलाइन भुगतान।
- पट्टे की बहाली के लिए आवेदन।
- शिकायत संबंधी सेवाएं।

अब, इसलिए इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (बी) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त एजेंसी एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (i) एजेंसी इस अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार, प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आधार नंबर धारक की सहमति प्राप्त करेगी।

(ii) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है। एजेंसी आधार नंबर धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य माध्यमों के बारे में सूचित करेगी और आधार प्रमाणीकरण से इनकार करने या असमर्थ होने के कारण आधार नंबर धारक को कोई भी सेवा देने से मना नहीं करेगी, अर्थात्:-

(क) पैन कार्ड ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

3. यह इस मंत्रालय की पूर्व राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 899(अ), सी.जी.डी.एल. -अ -16122025-268550 दिनांक 11.12.2025 के स्थान पर जारी किया जाता है

[फा. सं. A-11014/06/2025-DD. II]

सूर्य नारायण झा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2026

G.S.R. 414(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its EF No. 13(5)/2023-EG-II, dated 11.11.2025 to Delhi Development Authority(DDA) (hereinafter referred to as the said Agency), Government of India (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule (3) of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 I(hereinafter referred to as the said rules) that the said agency may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of subsection (4) of section 4 of the Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act):

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for establishing the identity of Indian citizens and employees of DDA for registration in its Single Sign-On (SSO) Portal and for availing of services (hereinafter referred to as the said purpose)as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said agency shall perform the Aadhaar authentication only for establishing the identity of Indian citizens and employees of DDA for registration in its Single Sign-On (SSO) portal [hereinafter referred to as the use case(s)] which includes the following services:

1. Housing
2. Land Disposal
3. Interactive Disposal of Land Information (IDLI)
4. Online Payment
5. Community Hall, Open Spaces, and Park Booking
6. Water Bill Online Payment
7. OPD/IPD Medical Reimbursement and
8. Sports related services
9. General Citizen Services

- Apply online for converting their property form a leasehold status to freehold ownership and mutation of properties.
- Pay their lease or license fees online.
- Apply for lease restoration.
- Grievance related services.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b)of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said agency hereby notifies the following, namely: -

1. (i) The agency, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(ii) As per Sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the agency shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: -

(a) Pan Card.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

3. This issues in supersession of this Ministry's earlier Gazette notification vide GSR-899 (E), No-CG-DL-E-16122025-268550 dated 11.12.2025.

[F. No. A-11014/06/2025-DD. II]

SURYA NARAYAN JHA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA